न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 14/2024

अनवान : –

1. सत्यनारायण पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
2. रामकुमार पुत्र फुलाराम जाति कुम्हार निवासी महराना त0 भादरा।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. चन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
2. रोहताश पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
3. संजय पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
4. सरोज पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
5. सीमा पुत्री सोहनलाल जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
6. कृष्णकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
7. नरेश कुमार पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
8. रामचन्द्र पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी महराना त0 भादरा।
9. पंजाब नेशनल बैंक शाखा निनाण जरिये प्रबन्धक।
10. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबडी जरिये प्रबन्धक।
11. तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251

ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए

उपस्थिति :–श्री पवन सिहाग प्रार्थी

श्री रामचन्द्र बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 21/11/24

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एमआरएन के खाता सं0 108/107 के मु0न0 93 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 20 की कुल 1.7710है0 प्रार्थी सं0 1 सत्यनारायण व प्रार्थी के चिपते ही पश्चिमी तरफ चक 6 एमआरएन के खाता सं0 78/21 के मु0न0 92 के किला न0 3 ता 8, 13 की कुल 1.7710है0 प्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

अप्रार्थी सं0 1 ता 5 एवं इनकी मृत[illegible] दादा की कृषि भूमि चक 6 एमआरएन के खाता सं0 40/1[illegible] के मु0न0 78 के किला न0 1, 10 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.0240है0 बहिस्सा बराबर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं अप्रार्थी सं0 6–7 के नाम चक 6 एमआरएन के खाता सं0 43/64 के मु0न0 79 के किला न0 3[illegible] 13–14 की कुल 2.024है0 तथा इसी प्रकार चक 6 एमआरएन में अप्रार्थी सं0 8 की खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.29 11:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

सं0 80/80 के मु0न0 79 के किला न0 15 ता 18, 23 ता 25 की कुल 1.7710है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए चक 6 एमआरएन के मु0न0 78 के किला न0 1 में उतरी तरफ किला लाईन के पास–पास उतर से दक्षिण मु0न0 79 के किला न0 5–6 प्रत्येक किला में किला के पूर्वी तरफ किला लाईन के पास–पास उतर से दक्षिण मु0न0 79 के किला न0 15–16–25 प्रत्येक किला में किला के पूर्वी ओर किला लाइन के पास पास उतर से दक्षिण मु0न0 92 के किला न0 5 में किला के उतरी पूर्वी कोनामें सवा आठ–सवा आठ फिट चौड़ाई यानि किला के कोना में 0.00065है0 एवं मु0न0 93 के किला न0 1 में किला के उतरी पश्चिमी कोना में सवा आठ–सवा आठ फिट चौड़ाई यानि किला के कोना में 0.00065है0 मे से आवागमन करता आ रहा है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बन्द करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जबाब पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी रोही मौजा चक 6 एमआरएन के खाता सं0 108/107 के मु0न0 93 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 20 की कुल 1.7710है0 प्रार्थी सं0 1 सत्यनारायण व प्रार्थी के चिपते ही पश्चिमी तरफ चक 6 एमआरएन के खाता सं0 78/21 के मु0न0 92 के किला न0 3 ता 8, 13 की कुल 1.7710है0 प्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रवेश करने के लिए चक 6 एमआरएन के मु0न0 78 के किला न0 1 में उतरी तरफ किला लाईन के पास–पास उतर से दक्षिण मु0न0 79 के किला न0 5–6 प्रत्येक किला में किला के पूर्वी तरफ किला लाईन के पास–पास उतर से दक्षिण मु0न0 79 के किला न0 15–16–25 प्रत्येक किला में किला के पूर्वी ओर किला लाइन के पास पास उतर से दक्षिण मु0न0 92 के किला न0 5 में किला के उतरी पूर्वी कोनामें सवा आठ–सवा आठ फिट चौड़ाई यानि किला के कोना में 0.00065है0 एवं मु0न0 93 के किला न0 1 में किला के उतरी पश्चिमी कोना में सवा आठ–सवा आठ फिट चौड़ाई यानि किला के कोना में 0.00065है0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी सं0 6–7 के हिस्सा में अप्रार्थी सं0 8 की कृषि भूमि से मु0न079 किला न0 15 के पश्चिमी तरफ पूरे किला लम्बाई में 0.0098है0 एवं प्रार्थी सं0 2 अपनी कृषि भूमि के मु0न0 92 के किला न0 3 ता 5 प्रत्येक किला से रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.0098है0 भूमि अप्रार्थी सं0 8 को देगा एवं प्रार्थी सं0 1 अपनी कृषि भूमि के मु0न0 93 किला न0 1 में किला के पश्चिमी ओर प्रत्येक किला में रास्ता की भूमि को प्रत्येक किला में 0.01625है0 भूमि प्रार्थी सं0 2 को भूमि देना प्रस्तावति है। इसलिए मुताबिक अनुतोष राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.29 11:00:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जावें। एवं उक्त प्रस्तावित रास्ता पर वकील अप्रार्थीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले पक्षकारान के मध्य भूमि का आदान–प्रदान किया जाना स्वीकार किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 6 एमआरएन के मु0न0 78 के किला न0 1 में उतरी तरफ किला लाईन के पास–पास उतर से दक्षिण मु0न0 79 के किला न0 5–6 प्रत्येक किला में किला के पूर्वी तरफ किला लाईन के पास–पास उतर से दक्षिण एक–एक बिस्वा मु0न0 79 के किला न0 15–16–25 प्रत्येक किला में किला के पूर्वी ओर किला लाइन के पास पास उतर से दक्षिण एक–एक बिस्वा मु0न0 92 के किला न0 5 में किला के उतरी पूर्वी कोना में सवा आठ–सवा आठ फिट चौड़ाई यानि किला के कोना में 0.00065है0 एवं मु0न0 93 के किला न0 1 में किला के उतरी पश्चिमी कोना में सवा आठ–सवा आठ फिट चौड़ाई यानि किला के कोना में 0.00065है0 रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त करें। एवं रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी सं0 6–7 के हिस्सा में अप्रार्थी सं0 8 की कृषि भूमि से मु0न079 किला न0 15 के पश्चिमी तरफ पूरे किला लम्बाई में 0.0098है0 एवं प्रार्थी सं0 2 अपनी कृषि भूमि के मु0न0 92 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक किला से रास्ता की भूमि को छोड़ते हुए 0.0108है0 भूमि अप्रार्थी सं0 8 को देगा एवं प्रार्थी सं0 1 अपनी कृषि भूमि के मु0न0 93 के किला न0 1–10 में किला [illegible] ओर प्रत्येक किला में रास्ता की भूमि छोड़कर प्रत्येक किला में 0.01625है0 भूमि [illegible] के हिस्सा में दर्ज की जाना सुनिश्चित करें तदुपरांत उपरोक्तानुसार रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन जावें।

आज दिनांक 21/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.29 11:00:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner